कार्यालय जनपद न्यायाधीश, अलीगढ़।

विज्ञप्ति

जनपद न्यायालय, अलीगढ़ में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा नियुक्त कोर्ट मैनेजर के सहयोगी कर्मचारियों के विभिन्न पदों (आशुलिपिक, लिपिक एवं चपरासी) पर भर्ती हेतु आवेदन पत्र निम्न विवरण के साथ आमंत्रित किये जाते हैं। उक्त पूर्णतः अस्थाई एवं संविदा पर आधारित (On contractual basis) हैं। पदों का विवरण निम्न प्रकार हैः–

1. आशुलिपिक	एक पद	नियत वेतन रूपये 10,000/– (मासिक)
2. लिपिक	एक पद	नियत वेतन रूपये 9,000/– (मासिक)
3. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	एक पद	नियत वेतन रूपये 7,000/– (मासिक)

उपरोक्त सभी पदों पर नियुक्तियां पूर्णतया अस्थाई एवं संविदा के आधार पर (On contractual basis) की जायेंगी। उक्त पदों पर नियुक्त कर्मचारियों को उपरोक्तानुसार नियत वेतन (बिना किसी अन्य विशेष वेतन एवं भत्तों के) देय होगा। उपरोक्त नियुक्त कर्मचारियों की सेवायें पूर्णतया अस्थाई होंगी, जो किसी भी समय बिना किसी सूचना के समाप्त की जा सकती हैं।

चयन हेतु निर्धारित अर्हता एवं शर्तें

1. अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना चाहिये।
2. (क) अभ्यर्थी को इण्टरमीडियेट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये।
   (ख) अभ्यर्थी को हिन्दी, अंग्रेजी व कम्प्यूटर का पूर्ण ज्ञान होना चाहिये (आशुलिपिक एवं लिपिक पद हेतु)।
   (ग) यदि आशुलिपिक पद हेतु आवेदन किया गया हो तो, अभ्यर्थी की गति हिन्दी आशुलेखन 100 शब्द प्रति मिनट एवं हिन्दी टंकण 35 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिये।
   (घ) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु अभ्यर्थी को हिन्दी पठन, लेखन एवं साइकिल चालन का ज्ञान होना आवश्यक है।

3. अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01–06–2012 को 18 वर्ष से कम एवं 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये। (आरक्षित वर्गों के लिये आयु सीमा में छूट सुसंगत शासनादेशों के अधीन अनुमन्य होगी)।
4. उक्त पदों पर आरक्षण हेतु सुसंगत नियम प्रभावी होंगें।

सामान्य अनुदेश

1. आवेदन पत्र मोटे सादा कागज पर सभी सूचनाऐं, जो साफ़ एवं स्पष्ट शब्दों में वर्णित हो तथा संलग्न सभी प्रमाणपत्रों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियों एवं दायीं ओर अभ्यर्थी का पासपोर्ट आकार का (राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित) नवीनतम फोटो के साथ दिनांक 11–06–2012 अपराह्न 04–00 बजे तक कार्यालय जनपद न्यायाधीश, अलीगढ़ में डाक/कोरियर अथवा स्वयं अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त हो जाना चाहिये। निर्धारित अवधि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।
2. लिफ़ाफ़े के ऊपर आवेदित पद का नाम स्पष्ट शब्दों में लिखा होना चाहिये।
3. डाक/कोरियर अथवा स्वयं अभ्यर्थी द्वारा कारित विलम्ब के कारण निर्धारित अवधि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों के सम्बन्ध में कार्यालय का कोई उत्तरदायित्व किसी प्रकार का नहीं होगा।
4. यदि आवेदक केन्द्र/राज्य सरकार के अधीन स्थाई अथवा अस्थाई रूप से सेवारत है, तो आवेदन पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा अनापत्ति के साथ अग्रसारित होना चाहिये।